

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला-जबलपुर
धारा-11 की अधिसूचना

क्रमांक 18 / भू-अर्जन / प्र.क. 02 / अ-82 / 2016-17

जबलपुर, दिनांक 20/3/2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलंगन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

चूंकि कार्यपालन यंत्री, रानी अंवती बाई लोधी सागर, बायी तट नहर संभाग क्रं-2 बरगी हिल्स, जबलपुर की पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम कुगंवा तहसील व जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्ट.)	धारा(12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	जबलपुर	ग्राम कुगंवा प0ह0न0 34 नं0 ब0 499 तहसील जिला जबलपुर	3.26	भू-अर्जन अधिकारी रा.अ.बा.लो.सा.इकाई क्र.1 बरगी हिल्स	पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकता है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र.-1 बरगी हिल्स जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अंवती बाई लोधी सागर, बायी तट नहर संभाग क्र.-2 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(महेश चंद्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू अर्जन अधिकारी
रा.अ.बा.लो.सा.इकाई
क्र.1 बरगी हिल्स
जबलपुर

पृ० क्रमांक 18/ए / भू-अर्जन / प्र.क. 02 / अ-82 / 2016-17

जबलपुर, दिनांक 20/3/2017

प्रतिलिपि:-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स ,भोपाल को म०प्र० राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री, / मुख्य अभियंता रा.अ.बा.लो.सा.परियोजना बरगी हिल्स जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में तथा राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरांत समाचार पत्र की प्रति एवं राजपत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
4. तहसीलदार तहसील जबलपुर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम में एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, जबलपुर एन.आई.सी कक्ष क्र-84 शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय कलेक्टर / जिला पंचायत जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. सरपंच ग्राम पंचायत कुगंवा की ओर सूचनार्थ, अगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखे।

(महेश चंद्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू अर्जन अधिकारी .

रा. अ. बा. लो. सा. परियोजना
कार्यपालक यंत्री, जबलपुर